न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रकरण संख्या 135/2012

प्रार्थी

1. रतनाई पत्नि भंवरलाल जाति माली निवासी मेला का चौक, सोजत सिटी
2. लक्ष्मी पत्नि रामचन्द्र जाति माली निवासी मेला का चौक, सोजत सिटी
3. मृतक चुन्नीलाल पुत्र छगनाराम के का0मु0
   - 3/1 खुमाराम पुत्र चुन्नीलाल
   - 3/2 भीवाराम पुत्र चुन्नीलाल
   - 3/3 मृतक हीरालाल पुत्र चुन्नीलाल के का0मु0
     - 3/3/1 कालुराम पुत्र हीरालाल
     - 3/3/2 अशोक पुत्र हीरालाल
     - 3/3/3 सोनीदेवी पत्नि हीरालाल जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी
4. कानाराम पुत्र बस्तीराम जाति माली निवासी हाडिया कुआं सोजत सिटी
5. देवाराम पुत्र बस्तीराम जाति माली निवासी हाडिया कुआ सोजत सिटी
6. कानाराम पुत्र डूगाराम जाति माली निवासी नयापुरा सोजत सिटी

अप्रार्थी

1. मांगीलाल पुत्र चिमनाराम
2. वेनाराम पुत्र भानाराम
3. मोहनलाल पुत्र भानाराम
4. अणची बेवा भानाराम जातिगण सिरवी निवासी बेरा चोलावा मेला चौक, सोजत सिटी
5. जुगलकिशोर पुत्र केसाराम जाति सिरवी निवासी चौधरीयों का बास, सोजत सिटी
6. लिछमणराम पुत्र पुखाराम जाति माली निवासी लिखमा का आट, पचोल नाडी, सोजत सिटी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री चन्द्रशेखर श्रीमाली, विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण
2. श्री महेन्द्र चौधरी, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण

उप खण्ड अधिकारी सोजत (राज.)

—: निर्णय :— दिनांक 23.11.2015

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि मौजा सोजत चक II तहसील सोजत के खसरा नम्बर 439, 440, 442, 443, 444, 445 कुल खसरा 6 जिसका कुल रकबा 2.55 हैक्टेयर की भूमि में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 429, 430, 431, 441 कुल खसरा 4 जिसका कुल रकबा 3.11 हैक्टेयर की भूमि में से रास्ता उपलब्ध कराने का अनुतोष चाहा है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा तहसीलदार सोजत से प्रकरण में वर्णित तथ्यों की जांच हेतु तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध बिल्कुल ही गलत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, उनकी कृषि भूमि पर आवागमन का रास्ता स्थित है। प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की कृषि भूमि में खडी मेहन्दी की फसल को नुकसान पहुँचाने की नियत से बिल्कुल ही गलत तरीके से अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में से रास्ते की मांग की गई है, प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में किसी तरह का अनुतोष नही चाहा है तथा प्रार्थना पत्र के संलग्न किसी प्रकार का नजरी नक्शा एवं शपथ पत्र प्रस्तुत नही किया गया है, अत' प्रार्थना पत्र खारिज कराने का निवेदन किया।

तहसीलदार सोजत से मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार सोजत ने अपनी जांच रिपोर्ट में निवेदन किया कि ग्राम सोजत चक II के खसरा नम्बर 429, 430, 431, 440, 441 के माठ माठ होते हुए खसरा नम्बर 442, 443, 444 तक जाने हेतु रास्ता प्रार्थीगण द्वारा चाहा

उप खण्ड अधिकारी सोजत (जिला-पाली) राज.

गया है। माके पर नजरी नक्शे में मार्क B से C तक 6 से 8 फीट तक चौडा रास्ता मौजूद है तथा मार्क D से E तक पगडण्डी है तथा मार्क E से उपर से नीचे धोरा लगा हुआ है। मार्क E के पूर्व में खसरा नम्बर 596 रकबा 17.18 हैक्टेयर गै0मु0 गोवा (सिवायचक) स्थित है तथा आगे खसरा नम्बर 595 रकबा 1.40 हैक्टेयर गै0मु0 सड़क स्थित है तथा डामर सडक बनी हुई है। मौके पर खसरा नम्बर 429, 430, 431 से 440 में मेहन्दी की फसल लगी हुई है। खसरा नम्बर 442, 443, 444 का वर्तमान राजस्व नक्शा लट्ठा अनुसार रास्ते पर स्थित नही है। निकटतम खसरा नम्बर 595 है। तहसीलदार सोजत ने अपनी जांच प्रतिवेदन में खसरा नम्बर 442 से 444 मे कृषि कार्य हेतु रास्ते की आवश्यकता होना बताया।

बहस उभयपक्ष अभिभाषकगण की सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थीगण ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादस्थ भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है तथा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तथा रास्ते की भूमि के मध्य अप्रार्थीगण की भूमि स्थित है। राजस्व रेकर्ड में रास्ता अंकन नही होने के कारण अप्रार्थीगण प्रार्थीगण को उनकी कृषि संक्रियाओं से बाधित करते है तथा आवागमन में अवरोध कारित करते है। अतः 15 फुट चौडा रास्ता उपलब्ध कराने का निवेदन किया है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण बहस के प्रत्युत्तर में निवदेन किया कि मौके पर आवागमन बाधित नही किया गया है तथा न ही उपलब्ध रास्ते को अप्रार्थीगण द्वारा रोका गया है। प्रार्थीगण ने धारा 251 (क) की मंशा के विपरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जो खारिज किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन एवं ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। तहसीलदार सोजत के प्रतिवेदन के संलग्न पटवारी हल्का की मौका जांच प्रतिवेदन में दर्शित नजरी नक्शे में प्रकरण में वर्णित भूमियों को दर्शाया गया है तथा यह स्पष्ट किया है कि मौके पर मार्क A से D तक मौके पर 6 से 8 फीट का रास्ता उपलब्ध है तथा मार्क D से E पगडण्डी है, जो पूर्व की ओर आगे जाकर खसरा नम्बर 596 रकबा 17.18 है0 किस्म गै0मु0 गोवा से लगती है। इससे यह स्पष्ट होता है कि मौके पर रास्ता उपलब्ध है, किन्तु राजस्व रेकर्ड में रास्ता दर्ज नही है। यहां सन्दर्भ कानून राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) का उल्लेख करना आवश्यक है। जिसके अनुसार "1. यह आवश्यकता आत्यांतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिये नही है और 2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है,।" चूंकि हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण की खातेदारी जोत में पहुँच का वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होना सिद्ध हुआ है। जहां तक रास्ते को रोकने अथवा आवागमन में अवरोध कारित करने के तथ्य है, तो उक्त तथ्यों के निराकरण हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 में विस्तृत प्रावधान उपलब्ध है, किन्तु हस्तगत प्रकरण में वर्णित तथ्य सन्दर्भ धारा 251 (क) की परिधि में नही पाये जाते है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत स्वीकार योग्य नही पाये जाने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

(नन्दकिशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

यह आदेश आज दिनांक 23.11.2015 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नन्दकिशोर राजोरा)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.